अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	1	

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 78 / 2023

06
03.10.2023

राज्य

बनाम

मोईन अंसारी, पिता–रफीक अंसारी, निवासी टंगराटोली, थाना–नरकोपी, जिला राँची ..... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 921 / डी०सी०बी० दिनांक 02.08.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मोईन अंसारी, पिता–रफीक अंसारी, निवासी टंगराटोली, थाना–नरकोपी, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बदर / निर्वासन करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. बेड़ो थाना कांड सं0–80 / 06, दि०–09.12.2006, धारा–395 / 397 भा०द०वि०
2. बेड़ो थाना कांड सं0–64 / 07, दि0–08.07.2007 धारा–448 / 341 / 323 / 34 भा0द0वि०
3. नरकोपी थाना काण्ड संख्या–03 / 2011, दि० 20.01.2011. धारा 376 भा0द0वि० एवं 3 (x) (xi) अनु० जाति / जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम ।
4. नरकोपी थाना कांड सं0–14 / 19, दि0–25.05.2019, धारा–414 / 34 भा0द0वि०
5. नरकोपी थाना कांड सं0–17 / 19, दि०–20.06.2019, धारा–341 / 504 / 506 / 34 भा0द0वि०
6. नरकोपी थाना काण्ड सं०–16 / 20 दिनांक–19.06.2020 धारा–392
7. नरकोपी थाना काण्ड सं०–17 / 20 दिनांक–01.07.2020 धारा–379 / 411 / 34
8. नरकोपी थाना काण्ड सं०–18 / 20 दिनांक–14.07.2020

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

धारा–25(1–बी०)ए० / 26 / 35 आर्म्स एक्ट

9. नरकोपी थाना काण्ड सं०–65 / 22 दिनांक–12.09.2022 धारा–147 / 148 / 149 / 342 / 353 / 332 / 323 / 427 / 504 / 506 भा०द०वि०
10. बेड़ो थाना काण्ड सं०–80 / 06 दिनांक–09.12.06 धारा–395 / 397 भा०द०वि० (Bail Out)
11. बेड़ो थाना काण्ड सं०–64 / 07 दिनांक–08.07.07 धारा–448 / 341 / 323 / 34 भा०द०वि० (Bail Out)
12. नरकोपी थाना काण्ड सं०–03 / 11 दिनांक–20.01.2011 धारा–376 / 34 भा०द०वि० 3(X)(Xi) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिशोध अधिनियम
13. नरकोपी थाना काण्ड सं०–14 / 19 दिनांक–25.05.2019 धारा–414 / 34 भा०द०वि० (Bail Out)
14. नरकोपी थाना काण्ड सं०–17 / 19 दिनांक–20.06.2019 धारा–341 / 504 / 506 / 34 भा०द०वि० (Bail Out)
15. सेन्हा (जिला लोहरदगा) थाना काण्ड सं०–09 / 07 दिनांक–03.02. 2007
16. सेन्हा (जिला लोहरदगा) थाना कांड सं0–09 / 07, दि०–03.02.2007. धारा–25 (1–बी०)ए० / 26 / 35 आर्म्स एक्ट (Bail Out)
17. लोअर बाजार थाना कांड सं0–280 / 14, दि०–12.011.2014 धारा–399 / 402 भा०द०वि० एवं 25 (1–बी०)ए० / 26 / 35 आर्म्स एक्ट
18. चान्हों थाना कांड सं0–41 / 13, दि0–28.04.2013, धारा–307 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
19. चान्हों थाना कांड सं0–97 / 14, दि0–29.10.2014 धारा–392 भा०द०वि० परिवर्तित धारा–395 भा०द०वि०
20. चान्हों थाना कांड सं0–52 / 19, दि०–10.05.2019, धारा–414 / 379 / 413 / 411 भा0द0वि० एवं 3 (i) Prevention of Damage to Public Property Act 1984
21. रातु थाना कांड सं0–198 / 19, दि०–21.07.2019, धारा–341 / 323 / 379 / 506 / 34 भा0द0वि० एवं 25 (1–बी०)ए० / 26 / 35 आर्म्स एक्ट
22. सिसई (जिला गुमला) थाना कांड सं0–86 / 19, दि०–12.07.2019, धारा–341 / 324 / 326 / 307 / 504 / 120(बी०) / 34 भा0द0वि0 एवं

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

27 आर्म्स एक्ट
23. सिमडेगा (जिला सिमडेगा) थाना कांड सं0–44 / 19, दि०–23.03.2019, धारा–379 भा०द०वि०
24. कैरो (जिला लोहरदगा) थाना कांड सं0–29 / 20, दि०–27.06.2020, धारा–384 / 385 / 386 भा०द०वि०
25. नरकोपी थाना सन्हा सं० 19 / 23 दिनांक 12.05.2023
26. नरकोपी थाना सन्हा सं० 05 / 23 दिनांक 13.05.2023
27. नरकोपी थाना सन्हा सं० 14 / 23 दिनांक 14.05.2023
28. नरकोपी थाना सन्हा सं० 17 / 23 दिनांक 14.05.2023
29. नरकोपी थाना सन्हा सं० 16 / 23 दिनांक 02.07.2023
30. नरकोपी थाना सन्हा सं० 19 / 23 दिनांक 02.07.2023
31. नरकोपी थाना सन्हा सं० 14 / 23 दिनांक 05.07.2023
32. नरकोपी थाना सन्हा सं० 19 / 23 दिनांक 05.07.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, बेड़ो, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक– 560 / 2023, दिनांक–22.07.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि मोईन अंसारी, पिता–रफीक अंसारी, निवासी टंगराटोली, थाना–नरकोपी, जिला राँची एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। ये वर्त्तमान में माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इसका मुख्य पेशा लूट, बलात्कार, रंगदारी, अवैध हथियार रखना, डकैती, गृह अतिचार, चोरी, वसूली, जान से मारने का प्रयास एवं अन्य अपराध है। यदि पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध कोई भी कार्रवाई की जाती है तो इसके दहशत एवं भय के कारण कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने हेतु न्यायालय में जाने का हिम्मत नहीं कर पाता है। फलस्वरूप ये आसानी से जेल से छूट जाता है। इसके क्रियाकलापों से संबंधित कई काण्ड विभिन्न जिला के भिन्न–भिन्न थाना क्षेत्रों में इसके विरूद्ध दर्ज है। इसके न्यायिक हिरासत में रहने से इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी है, जिससे इसका असामाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है। इसकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता में भय, दहशत एवं आतंक व्याप्त हो जाता है जिससे लोक शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे जिला बद्र / निर्वासन संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

विपक्षी के अनुसार – पुलिस के द्वारा विपक्षी के उपर लगाये गये सारे आरोप सरासर गलत तथा बेबुनियाद है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज बेड़ो थाना कांड सं0–80/06, बेड़ो थाना कांड सं0–64/07, दि0– 08.07.2007, नरकोपी थाना काण्ड संख्या–03/2011, सेन्हा (जिला लोहरदगा) थाना कांड सं0–09/07, दि०–03.02.2007 एवं चान्हों थाना कांड सं0–97/14 मे उन्हे बरी कर दिया गया है। शेष वाद वर्त्तमान मे लंबित है तथा सभी मे विपक्षी को जमानत प्राप्त है। विपक्षी को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी करार नही किया गया है। विपक्षी ना तो असमाजिक तत्व है ना ही उनका किसी असमाजिक तत्वों से कोई संबंध ही है। पूर्व मे विपक्षी को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बदर/निर्वासन किया गया है, जिसका विपक्षी के द्वारा विधिवत पालन किया गया था।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वर्णित वादों मे से कुछेक वादों मे उन्हे बरी कर दिया गया है एवं शेष वाद वर्त्तमान मे लंबित है। किसी भी वाद मे उन्हे दोषसिद्ध करार नही किया गया है। स्वयं विपक्षी के अनुसार पूर्व मे उन्हे झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बदर/निर्वासन किया गया था। ऐसी स्थिति मे नैसर्गिक न्याय के तहत पुनः उन्हे जिला बदर/निर्वासन किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी मोईन अंसारी, पिता–रफीक अंसारी, निवासी टंगराटोली, थाना–नरकोपी, जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी मोईन अंसारी, पिता–रफीक अंसारी, निवासी टंगराटोली, थाना–नरकोपी, जिला राँची को दिनांक 11.10.2023 से दिनांक 10.01.2024 तक की अवधि के लिए नरकोपी थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, नरकापी थाना के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 10.10.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 11.10.2023 से दिनांक 10.01.2024 तक

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्रत्येक दिन नरकोपी थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी मोईन अंसारी, पिता–रफीक अंसारी, निवासी टंगराटोली, थाना–नरकोपी, जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मोईन अंसारी, पिता–रफीक अंसारी, निवासी टंगराटोली, थाना–नरकोपी, जिला राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:45:19 -08:00
Location: 192.168.1.4